"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 जून 2016—— ज्येष्ठ 31, शक 1938

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2016

अधिसूचना

क्रमांक 10203/एफ-16-01/पौ. सं./2012/14-2. — छत्तीसगढ़ कीटनाशी अपील नियम, 2016 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का सं. 46) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों को, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, कक्ष क्र. एस 4-4, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.-** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ कीटनाशी अपील नियम, 2016 कहलायेंगे.

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का सं. 46);

   (ख) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा.

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, उनके क्रमश: वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हैं.

3. **अपील.-**

(1) धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन अपील निम्नानुसार की जायेगी,-

(अ) यदि ऐसा विनिश्चय, कीटनाशी निर्माण की अनुज्ञप्ति से संबंधित हो, तो संचालक कृषि, छत्तीसगढ़, रायपुर को.

(ब) यदि ऐसा विनिश्चय, कीटनाशी के विक्रय, स्टॉक या विक्रय हेतु प्रदर्शन या वितरण से संबंधित हो तो,-

(एक) राज्य अनुज्ञप्ति हेतु संचालक, कृषि, छत्तीसगढ़, रायपुर को; और

(दो) जिला अनुज्ञप्ति हेतु संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक, कृषि को.

(2) अपील लिखित में होगी तथा उनमें विभिन्न शीर्षकों के अधीन वे आधार संक्षिप्त में उपवर्णित किये जायेंगे, जिस पर अपील की गई है.

(3) प्रत्येक अपील को लिखित में दायर की जायेगी; अपीलार्थी या तो व्यक्तिगत या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा या सम्यक् रूप से पंजीकृत राष्ट्रीय डाक सेवा के माध्यम से भेजी जा सकेगी.

(4) राज्य स्तर में प्रत्येक अपील हेतु रु. 500 का शुल्क एवं जिला स्तर में प्रत्येक अपील हेतु रु. 200 रुपये का शुल्क देय होगा. कोषालय चालान तथा उस निर्णय की प्रतिलिपि, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपील के साथ संलग्न की जायेगी.

(5) अपील करने के लिए देय फीस शीर्ष 0435-अन्य कृषि कार्यक्रम, 800-अन्य प्राप्तियां, 0242-नियंत्रित वस्तुओं (कीटनाशी औषधी) पर लाइसेंस शुल्क, 0243-विविध, 0244-प्रशासकीय प्रभार के अन्तर्गत जमा की जायेगी.

4. **अपीलीय अधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.-** अधिनियम के अधीन अपीलों को विनिश्चित करने हेतु अपीलीय अधिकारी, उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसे न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन मूल न्यायालय के डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपीलों को विनिश्चत के लिये अनुसरण किया जाता है.

No. 10203/F-16-01/PP/2012/14-2. — The following draft of Chhattisgarh Insecticides Appeal Rules, 2016, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 37 of the Insecticides Act, 1968 (No. 46 of 1968), is hereby, published as required by sub-section (1) of the said section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after fifteen days from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period, during office hours by the office of the Additional Chief Secretary and Agriculture Production Commissioner, Government of Chhattisgarh, Department of Agriculture, Room No. S 4-4, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT RULE

1. **Short Title and commencement.**- (1) These rules may be called as the Chhattisgarh Insecticides Ap peal Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.- (1) In these rules, unless the context otherwise required,-

(a) "Act" means the Insecticides Act, 1968 (No. 46 of 1968);

(b) "Section" means, Section of the Act.

(2) Words and Expressions used herein but not defined shall have the same meanings as respectively assigned to them under the Act.

3. **Appeal.**- (1) Appeal under sub-section (1) of Section 15 shall lie,-

(A) if the decision is related to license to manufacture of insecticides, then to Director, Agriculture, Chhattisgarh, Raipur.

(B) if the decision is related to License to sell, stock or exhibit for sale or distribute insecticides,-

(i) Director Agriculture, Chhattisgarh, Raipur for State License, and

(ii) Joint Director, Agriculture of the concerned Division for District License.

(2) Appeal must be in writing and the grounds under various headings on which the appeal is done, must be described in brief.

(3) Each appeal shall be filled in writing; either individually by the appellant, by a duly authorized agent or can be sent through duly registered nationalized postal service.

(4) A fee of Rs. 500 is be payable for each appeal at state level and Rs. 200 is be payable for each appeal at district level. Treasury Invoice and a copy of the decision against which the appeal has been preferred must be annexed with appeal.

(5) The fees payable for the appeal will be credited to 0435-Other Agriculture Programmes, 800-Other Receipts 0242-License Fee on Controlled Goods (Insecticidal Dispenser), 0243-Miscellaneous, 0244-Administrative Charges.

4. **Procedure to be followed by the Appellate Authority**.- To decide the appeals under the Act, the Appellate Authority shall follow the same procedure which is followd by a court, to decide the appeals against the decree or order of original court, under the Civil Procedure Code No. 1908 (No. 5 of 1908).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016 .